(119)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2580–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–6–2016 पारित द्वारा तहसीलदार उदयनगर जिला देवास प्रकरण कमांक / /अ–68/2015–16.

मानवीरसिंह पिता विरेंद्रसिंह बैस
डायरेक्टर ब्लू.जे.इंटरटेनमेंट एंड डेवलपर्स प्राय.लिमि.
401, पुष्परतन लैंडमार्क, 384, साकेत नगर
इंदौर म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार
उदयनगर जिला देवास

.....अनावेदक

श्री हंसराज जोशी एवं श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे, पेनल अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील उदयनगर जिला देवास द्वारा पारित आदेश 14–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार तहसील उदयनगर जिला देवास द्वारा आवेदक को दिनांक 14–6–16 को इस आशय का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया कि ग्राम कोलूघटटा तहसील बागली जिला देवास स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 60 रकबा 6.65 एकड़ पर उसके द्वारा पौधे लगाकर एवं वाउण्ड्रीवाल बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है अतः क्यों न आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के

अन्तर्गत अवैध अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाये । तहसीलदार के इसी कारण बताओं सूचना पत्र के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा शासकीय भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं किया गया है और जो निर्माण किया गया है उसके द्वारा अपनी भूमि पर किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदक को जारी कारण बताओं सूचना अवैधानिक एवं अनियमित होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आरक्षित होकर वन विभाग का आधिपत्य है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन कर नक्शे में तरमीम नहीं की गई है, इसलिये विवाद की स्थिति हुई है । उनके द्वारा कारण बताओं सूचना निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही वैधानिक होने से स्थिर रखी जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र दिनांक 14–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । स्पष्ट है कि आवेदक को तहसीलदार के समक्ष सुनवाई का अवसर उपलब्ध है और वे उनके द्वारा इस न्यायालय में उठाये गये आधारों को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । अतः यह निगरानी प्रीमैच्योर होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.